न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - कैलाश चन्द गुर्जर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -21/2022

अनवान

1.श्री जयराज सिंह पुत्र श्री छत्रसिंह जाति राजपूत आयु 30 वर्ष निवासी सी-1 वसन्त विहार आदित्य नगर मोडक गांव, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान।

2 रितेश कंवर पत्नि अमरेन्द्र सिंह राठौड़ जाति राजपूत आयु 50 वर्षनिवासी सी-1 वसन्त विहार आदित्य नगर मोडक गांव, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवर सिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. हरिसिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. जुगराज सिंह पिता डूंगर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. पुष्पेन्द्र सिंह पिता डूंगर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
5. भरत पिता डूंगर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
6. लोकेन्द्र सिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
7. गजेन्द्र सिंह पिता भंवर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी
श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 19.07.2022

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया है, जो सुदृढ़ तथ्यों पर आधरित होकर अवश्य ही प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होगा, लेकिन उक्त प्रकरण के निस्तारण होने में समय लगने की संभावना है, इस बीच में अप्रार्थीगण द्वारा वादी के खातेदारी की भूमि में खडी सरसों की फसल पर कब्जा कर फसल को खुर्द बुर्द किया जा रहा है, इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की कृर्षि भूमि ग्राम मौजा सेमलिया प.ह.रेनखेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 21 खसरा संख्या 273, 274, 278 कुल किता 03 रकबा 6.1000 है0 भूमि प्रार्थी जयराज सिंह के खाते दर्ज है एवं ग्राम सेमलिया की खाता संख्या 116 खसरा संख्या 267, 268, 269, 270, 271, 272 कुल किता 06 कुल रकबा 6.4800 है0 भूमि खाते में रितेश कंवर के खाते दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीगण कदीमी समय से काश्त करते चले आ रहे है तथा खाता संख्या 21 पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा झालरबावडी से ऋण ले रखा है तथा खाता संख्या 116 पर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण ले रखा है तथा उक्त वर्णित कृर्षि भूमि को प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा क्रय की थी तथा क्रय दिनांक से ही प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वज उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में अभी सरसों की

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

फसल बुवाई कर रखी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 07 द्वारा दिनांक 17.02.2021 को अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है उक्त बात की जानकारी जब प्रार्थी को हुई तो प्रार्थीगण के पिता/पति के साथ मोडक गांव से अपनी उक्त कृषि भूमि की देखरेख करने आये तो यहां आकर देखा कि अप्रार्थी संख्या 01 से 07 द्वारा प्रार्थीगण व उसके परिवारजन को अपने खाते की कृषि भूमियों मे प्रवेश नही करने दिया, इस पर प्रार्थीगण ने कहां कि उक्त जमीन मेरे खाते की है, तुम इस पर कब्जा क्यों कर रहे हो, इतना कहने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 07 प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू हो गये तथा धमकियां दी कि अगर तु इस जमीन पर आज के बाद आ गया तो तुझे व तेरे परिवारवालों को जान से मार डालेंगे तथा प्रार्थीगण को डरा धमकाकर उसके खाते की भूमि से भगा दिया जिसकी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाक 19.02.2022 को थाना रावतभाटा मे दी तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 मना करने पर भी नही मान रहे है तथा लडाई झगडा कर रहे है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मे बोई हुई फसल सरसों को भी जबरन कब्जा कर खुर्द बुर्द कर रहे है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि जो कि ग्राम सेमलिया की खाता संख्या 21 व 116 की आराजी संख्या 273, 274, 278, व 267, 268, 269, 270, 271, 272 कुल रकबा 12.58 है0 कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व फसल कटाई, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे, इस बाबत आदेश प्रदान कर डिक्री जारी प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब करने पर विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा सेमलिसया प.ह.रेनखेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 21 खसरा संख्या 273, 274, 278 कुल किता 03 रकबा 6.1000 है0 भूमि प्रार्थी जयराज सिंह के खाते दर्ज है एवं ग्राम सेमलिया की खाता संख्या 116 खसरा संख्या 267, 268, 269, 270, 271, 272 कुल किता 06 कुल रकबा 6.4800 है0 भूमि खाते में रितेश कंवर के खाते दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार कर शेष कथन अस्वीकार होकर निवेदन किया कि आज से 40 वर्ष पूर्व प्रार्थी जयराज सिंह के पिता श्री छत्र सिंह जी के अप्रार्थीगण भंवर सिंह, हरिसिंह की माता अनोप कवंर राखी बांधती थी तथा छत्रसिंह जी ने अनोप कंवर को अपनी राखी डोरे की बहन बना रखा था जिससे छत्र सिंह जी ने अपने खाते की कृषि भूमि जो कि ग्राम सेमलिया में स्थित है में से रकबा 28 बीघा कृर्षि भूमि राशि 80000/–अक्षरे अस्सी हजार रूपये में अप्रार्थीगण के पिता प्रताप सिंह जी को बेचान कर दी थी, जिसमें से ग्राम सेमलिया में 14 बीघा कृर्षि भूमि व ग्राम केलुखेडी में 14 बीघा कृर्षि भूमि बेचान की थी, उक्त आराजीयात के विक्रय के समय ग्राम के मौतबीर व्यक्ति जिनमें मोड सिंह पिता श्री उदय सिंह, मनोहर सिंह पिता बापू सिंह, चेन सिंह पिता मोती सिंह, सरदार सिंह पिता भैरूसिंह निवासी केलुखेडी मौजूद थे, जिन्हे भी उक्त कृर्षि आराजियात छत्रसिंह द्वारा बेचान करने व प्रतापसिंह द्वारा खरीद करने की जानकारी है तथा बेचान करने के बाद अप्रार्थीगण के पिता श्री प्रताप सिंह जी के द्वारा बार बार छत्र सिंह जी को कहां कि उक्त ग्राम सेमलिया की 14 बीघा व केलुखेडी की 14 बीघा कुल 28 बीघा कृर्षि भूमि की रजिस्ट्री मेरे नाम करवा दो किन्तु छत्रसिंह जी का ट्रांसफर बीकानेर हो जाने से में बाद में उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री करवा दूंगा तथा बाद में उनका स्वर्गवास हो गया तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके हिस्से की कृर्षि भूमि प्रार्थी जयराज सिह व रितेश कंवर के नाम खाते दर्ज रिकार्ड हो गई है तथा अप्रार्थीगण विगत 40 वर्षो से 28 बीघा कृर्षि भूमि पर काबिज होकर निर्विवाद काश्त करते चले आ रहे है तथा अप्राथीगणों ने काफी अंग मेहनत कर उक्त 28 बीघा कृर्षि भूमि को काबिल काश्त बनाया, अब प्रार्थी के मन में बदयान्ती आ जाने से तथा बार–बार उक्त कृर्षि भूमि की रजिस्ट्री अप्रार्थीगणों द्वारा अपने नाम कराने की कहने पर उनके द्वारा टालमटौल की जा रही है तथा अप्रार्थीगण को उनके खरीदशुदा कृषि आराजीयात से बेदखल करने के लिए यह झूठा बेदखली का दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि अप्रार्थीगण खरीदशुदा कृर्षि आराजीयात पर 40 वर्षो से निर्विवाद रूप से एडवर्स पजेशन के रूप में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अन्त खाता संख्या 21 खसरा सख्या 273, 274, 278 कुल किता 03 रकबा 6.1000 है0 भूमि प्रार्थी जयराज सिंह के खाते दर्ज है एवं ग्राम सेमलिया की खाता संख्या 116 खसरा संख्या 267, 268, 269, 270, 271, 272 कुल किता 06 कुल रकबा 6.4800 है0 भूमि में से अप्रार्थीगण 14 बीघा कृर्षि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा कर खुर्द बुर्द नही

किया है, ना ही प्रार्थी की फसल को नुकसान पंहुचाया है, प्रार्थीगणों ने केवल अप्रार्थीगणों को उनके द्वारा खरीद की हुई 14 बीघा भूमि से बेदखल करने के लिए यह झूठा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का प्रस्तुत किया गया है, जो सव्यय खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सेमलिया प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 21 व 116 की आराजी संख्या 273, 274, 278, 267, 268, 269, 270, 271, 272 कुल रकबा 12.58 है0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के खाते की कृर्षि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व फसल कटाई, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे इस बाबत प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता प्रताप सिंह ने उक्त वर्णित कृर्षि आराजीयात को प्रार्थी के पिता छत्र सिंह जी से रूपये 80,000/– में क्रय की थी, तब से ही कब्जा काश्त अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता का ही है। अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम मौजा सेमलिया प.ह.रेनखेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 21 खसरा संख्या 273, 274, 278 कुल किता 03 रकबा 6.1000 है0 भूमि प्रार्थी जयराज सिंह के खाते दर्ज है एवं ग्राम सेमलिया की खाता संख्या 116 खसरा संख्या 267, 268, 269, 270, 271, 272 कुल किता 06 कुल रकबा 6.4800 है0 कृर्षि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के पिता छत्र सिंह से क्रय की हो, दस्तावेजी सबूत के अभाव में साबित नहीं होता है। जिससे अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई हक प्रथमदृष्टया होना साबित नहीं होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी के मूल वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थी के खाते की कृर्षि भूमि जो कि ग्राम सेमलिया की खाता संख्या 21 व 116 की आराजी संख्या 273, 274, 278, व 267, 268, 269, 270, 271, 272 कुल रकबा 12.58 है0 कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व फसल कटाई, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
(आर0ए0एस0)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा